



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 171-2016/Ext.] CHANDIGARH, THURSDAY, OCTOBER 20, 2016 (ASVINA 28, 1938 SAKA)

हरियाणा सरकार

अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग

अधिसूचना

दिनांक 20 अक्टूबर, 2016

क्रमांक 1312-एस०डब्ल्यू०(1)2016.— राज्यपाल हरियाणा वित्त विभाग, हरियाणा की सहमति से एक बोर्ड का गठन करते हैं जो "हरियाणा विमुक्त घुमन्तु जाति विकास बोर्ड" के नाम से जाना जायेगा, जो यह स्पष्ट करते हुए/विभिन्न जातियों के सही वर्गीकरण का सुझाव देगा तथा घुमन्तु, विमुक्त (डिनोटिफाईड ट्राईब्स) तथा टपरीवास जातियों से सम्बन्धित आर्थिक तथा सामाजिक पहलुओं के विकास हेतु निम्नलिखित विवरण अनुसार कार्य करेगा:—

1. संक्षिप्त नाम

यह बोर्ड "हरियाणा विमुक्त घुमन्तु जाति विकास बोर्ड" के नाम से पुकारा जायेगा।

2. प्रकृति एवं अवधि

यह एक स्वतन्त्र निकाय होगा और इसकी अवधि प्राथमिक रूप से दो वर्ष की होगी, जिसको सरकार द्वारा, समय-समय पर सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा आगे बढ़ाया जा सकेगा। बोर्ड एक निगम स्वरूप में होगा तथा जिसके पास अपनी सतत् मोहर होगी और जो मुकद्मा चला सकेगा तथा जिस पर मुकद्मा इस नाम से चलाया जा सकेगा।

3. परिभाषाएं

यदि इस विषय में आवश्यकता हो:—

(क) बोर्ड का अर्थ है, "हरियाणा विमुक्त घुमन्तु जाति विकास बोर्ड"

(ख) राज्य सरकार से आशय है, "हरियाणा सरकार का अनुसूचित जातियां एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग", में इसकी मौजूदगी का होना।

(ग) अध्यक्ष का अर्थ है, बोर्ड का अध्यक्ष।

(घ) सदस्य सचिव का अर्थ है, बोर्ड का सदस्य सचिव।

(ङ) सदस्य का अर्थ है, बोर्ड का सदस्य।

4. मुख्य कार्यालय

बोर्ड का मुख्य कार्यालय पंचकूला या चण्डीगढ़ में होगा।

5. बोर्ड के लक्ष्य तथा कार्य

हरियाणा के घुमन्तु लोगों के स्थायी निवास के लिये स्पष्ट रूप से उनकी विभिन्न जातियों के वर्गीकरण का सही सुझाव देना तथा इन जातियों के आर्थिक तथा सामाजिक पहलुओं का ध्यान रखते हुए इनके विकास के लिये कार्य करना।

6. संविधान

- (i) बोर्ड में ग्यारह सदस्य होंगे जिसमें अध्यक्ष भी सम्मिलित होगा।
- (ii) अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति सरकार द्वारा योग्य एवं ख्याति प्राप्त व्यक्ति और जिन्हें इन जातियों के बारे में ज्ञान हो उनमें से की जायेगी।
- (iii) निदेशक, अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग, इस बोर्ड के पदेन सदस्य होंगे।
- (iv) बोर्ड में एक सदस्य सचिव होगा जिसकी नियुक्ति, राज्य सरकार द्वारा हरियाणा सिविल सेवा के अधिकारियों में से होगी, जिसका स्तर उप-सचिव के पद से नीचे नहीं होगा।
- (v) नौ सदस्य सरकारी अथवा गैर-सरकारी होंगे निर्णय सरकार द्वारा किया जायेगा।
- (vi) अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यगणों की नियुक्ति तथा अवधि सम्बन्धी शर्तें मुख्य सचिव का कार्यालय निर्धारित करेगा।

7. नियम बनाने हेतु शक्तियां

- (क) बोर्ड अपनी शासकीय व्यवस्था के लिये राज्य सरकार से पूर्व स्वीकृति प्राप्त करके नियम तथा कानून बनायेगा।
- (ख) बोर्ड अपने कार्यों से सम्बन्धित प्रारम्भिक नियमों व विनियमकों का सैट तैयार करके उसे अपनी द्वितीय बैठक में विचारार्थ रखेगा, जो इसके बाद राज्य सरकार के अनुमोदन के लिये प्रस्तुत करेगा।

8. स्टॉफ (कर्मचारी वर्ग)

बोर्ड प्रशासकीय, लिपिक वर्गीय तथा अन्य पद राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति के आधार पर समय-समय पर सरकार द्वारा जारी नियमों, विनियमकों और दिशा-निर्देशों अनुसार सृजित करवायेगा। स्वीकृत किये गये पदों के विरुद्ध स्टाफ की पूर्ति, जहां तक सम्भव हो प्रतिनियुक्ति के रूप में या बाहरी स्रोत द्वारा या कार्यकाल के आधार पर की जायेगी।

9. बैठक

- (क) बैठकों की आवृत्ति बारे बोर्ड द्वारा नियम बनाकर निर्णय लिया जायेगा जैसा कि अधिसूचना के पैरा-7 में दर्शाया गया है।
- (ख) प्रत्येक बैठक की रिपोर्ट की एक प्रति बोर्ड राज्य सरकार को भेजेगा।
- (ग) बोर्ड के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में कोई अन्य सदस्य जिसे अन्य सदस्य मनोनीत करें, बोर्ड की बैठक ले सकता है।
- (घ) कोरम के लिये बोर्ड के आधे सदस्यों का होना आवश्यक है।
- (ङ) बोर्ड अपने लक्ष्यों की पूर्ण प्राप्ति के लिये वह जैसा उचित समझे, आगे और समितियां बना सकता है।
- (च) अध्यक्ष किसी भी उस केस को जो बोर्ड को भेजा गया है, उसे बैठक में लाने की अपेक्षा, उसे सरकुलर द्वारा पारित किया जा सकता है।

10. अधिकारी की जिम्मेदारियां तथा शक्तियां

1. सदस्य सचिव बोर्ड का प्राधिकारी होगा और उसे यह अधिकार होगा कि वह सभी आदेशों तथा निर्णयों को प्रमाणित करेगा।
2. सदस्य सचिव इन सबके लिये जिम्मेदार होगा:—
 - (क) बोर्ड के वार्षिक हिसाब-किताब के अनुमान तथा लेखा विवरण तैयार करना।
 - (ख) बोर्ड के फंडज की सुरक्षा तथा इनका न्यायोचित व्यय बारे राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये नियम तथा दिशानिर्देश के अनुरूप रख रखाव।
 - (ग) एजेण्डा तैयार करना तथा बोर्ड द्वारा की गई बैठक की रिपोर्ट की प्रति सभी सम्बन्धित खण्डों को उपलब्ध करवाना।
 - (घ) उन सभी कार्यों को जो समय-समय पर उसे प्रस्तावित किये गए हैं या दिये गये हैं, उन्हें पूर्ण करना।

11. वित्तीय

बोर्ड के सभी खर्चे राज्य सरकार द्वारा दी गई ग्रांट से ही किये जायेंगे।

दिनांक 17 अक्टूबर, 2016

अनिल कुमार,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग।

HARYANA GOVERNMENT**WELFARE OF SCHEDULED CASTES AND BACKWARD CLASSES DEPARTMENT****Notification**

The 20th October, 2016

No. 1312-SW(1)-2016.— The Governor of Haryana with the concurrence of the Finance Department, Haryana hereby constitutes a Board to be known as “Haryana Vimukt Ghumantu Jati Vikas Board” to suggest the proper categorization of various castes and to look into the developmental, economic and social issues regarding the Nomadic, Vimukt (Denotified Tribes) and Tapriwas castes as per following details: -

1. Short title

The Board shall be called “Haryana Vimukt Ghumantu Jati Vikas Board”

2. Nature and tenure

It shall be an autonomous body and its tenure shall be for a period of two years in the first instance which may be extended by the Government, by notification in the Official Gazette, from time to time. The Board shall be a body corporate and shall have a perpetual seal and may sue or be sued by the said name.

3. Definitions

Unless the context otherwise requires-

- (a) ‘Board’ means the “Haryana Vimukt Ghumantu Jati Vikas Board”
- (b) ‘State Government’ means the Government of Haryana in the Welfare of Scheduled Castes and Backward Classes Department;
- (c) ‘Chairman’ means the Chairman of the Board;
- (d) ‘Member Secretary’ means the Member Secretary of the Board;
- (e) ‘Member’ means Member of the Board;

4. Headquarters

The office of the Board shall be located at Panchkula or Chandigarh.

5. Objectives and Functions of the Board

To suggest prospects of permanent settlement of shelter less Nomadic people of Haryana and clarify/suggest the proper categorization of various castes and to look into the developmental, economic and social issues regarding these castes.

6. Constitution

- (i) The Board shall consist eleven members including the Chairperson.
- (ii) The Chairperson and Members shall be appointed by the Government from amongst person of repute, ability and having knowledge about these castes.
- (iii) The Director, Welfare of Scheduled Castes and Backward Classes Department shall be the ex-officio member of the Board.
- (iv) There shall be a Member Secretary of the Board who shall be appointed by the State Government from amongst the officers of the Haryana Civil Service, not below the rank of Deputy Secretary.
- (v) The nine members can be official or non-official to be decided by the Government.
- (vi) The terms and conditions of the appointment and tenure of the Chairperson and other members of the Board shall be determined by the office of the Chief Secretary.

7. Power make rules

- (a) The Board shall make rules and regulations for its governance with the prior approval of the State Government.
- (b) The Board shall get the initial set of rules and regulations prepared in connection with its affairs and shall consider the same in its second meeting, where after these shall be submitted to the State Government for its approval.

8. Staff

The Board shall create administrative, ministerial and other posts with the prior approval of the State Government and make appointments thereto in accordance with the rules and regulations and guidelines issued from time to time. The staff position against the sanctioned posts shall be filled up by way of deputation or through outsourcing or hiring on tenure basis to the extent possible.

9. Meetings

- (a) Frequency of meetings will be decided by the Board by making rules which is mentioned in Para-7.
- (b) A copy of the proceedings of every meeting of the Board shall be forwarded to the State Government.
- (c) The Chairperson of the Board and, in his absence, any other member so elected by the members, shall preside over the meeting of the Board.
- (d) One-half of the members of the Board shall constitute the quorum.
- (e) The Board, in furtherance of its objectives, may set up such committees, as it may deem fit.
- (f) The Chairperson may direct, any case referable to the Board, instead of being brought up for discussion at a meeting of the Board, be decided by circulation.

10. Power and Responsibilities of Officer

- (1) The Member Secretary shall be the officer of the Board and he shall be empowered to authenticate all orders and decision;
- (2) The Member Secretary shall be responsible for;
 - a. Presentation of annual estimates and statements of accounts to the Board;
 - b. Custody of the Board's funds and prudent utilization of such funds in accordance with the rules and guidelines issued by the State Government, from time to time;
 - c. Preparing the agenda and keeping the minutes of the meetings of the Board and furnishing a copy thereof to the concerned quarters; and
 - d. Discharge such other functions, as may be prescribed or assigned to from time to time.

11. Finances

The expenses of the Board shall be defrayed out of the grant-in-aid to be provided by the State Government.

Chandigarh:
The 17th October, 2016.

ANIL KUMAR,
Principal Secretary to Government Haryana,
Welfare of Scheduled Castes and Backward Classes Department.